अपील सूचना अधिकार संख्या 124/2016 अनवानी गुरदीप सिंह सिधू निवासी वार्ड न0 07, 11 पी पतरोडा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम प्र0अ0 राज0 सम्पर्क श्रीगंगानगर

29–09–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गुरदीप सिंह सिधू उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री गुरदीप सिंह सिधू ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 29.05.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

> मैने आपके कार्यालय में Grievance ID 1215279630815 तारीख 19.12.2015 को सम्पर्क राजस्थान के माध्यम से परिवाद दर्ज करवाया थां (आवेदन की प्रति संलग्न है) लेकिन अब तक मेरे आवेदन पर सन्तोषजनक कदम नही उठाया गया है। कृपया इसके सन्दर्भ में सूचना उपलब्ध कराए।
> 1. मेरे आवेदन पर की गई प्रतिदिन की कारवाई अर्थात दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराये। मेरा आवेदन किन–किन आधिकारियों के पास गया तथा किस अधिकारी के पास कितने दिनों तक रहा और इस दौरान उन अधिकारियो के उस पर क्या कारवाई की? पूरा विवरण उपलब्ध कराए।
> 2. विभाग के नियम के अनुसार मेरे आवेदन पर अधिकतम कितने दिनो में कार्यवाही पूरी की जानी चाहिये थी? क्या मेरे मामले मे उपरोक्त समय सीमा का पालन किया गया है?
> 3. कृपया उन अधिकारियों के नाम तथा पद बताए जिन्हे मेरे आवेदन पर कारवाई करनी थी? लेकिन उन्होने कोई कारवाई नही की।
> 4. अपना काम ठीक से न करने और जनता को परेशान करने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कारवाई की जाएगी? यह कारवाई कब तक की जाएगी?
> 5. अब मेरी शिकायत पर जांच का कार्य कब तक पूरा होगा?

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 29.05.2016 के द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो सूचना उपलब्ध करवाई गई है वह अपूर्ण और सही नही है। इसलिए अपील पर सुनवाई कर लोक सूचना अधिकारी को निशुल्क सूचना उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के तहत उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर प्रभारी अधिकारी, राज0 सम्पर्क, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या राज. सम्पर्क/आरटीआई/2016/1434 दिनांक 02.08.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत राज0 सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या 1215279630815 के संबंध में सूचना चाही गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा चुका है इस संबंध में प्रार्थी को पत्र सं0 1419 दिनांक 29.06.2016 के द्वारा सूचित कर दिया गया था जो निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या 1215279630815 के संबध में सूचना चाही गई है। उक्त प्रार्थना पत्र मे आप द्वारा शिकायत के संबंध में पूर्ण विवरण नही दिया गया है। जिससे यह स्पष्ट नही हो रहा की आपकी शिकायत किस विभाग से सबंधित है। प्रकरण के संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें ताकि आपके प्रकरण पर कार्यवाही की जा सके। आप द्वारा दी गई शिकायत का पोर्टल पर स्टेटस पत्र के साथ संलग्न कर आपको भिजवाया जा रहा।

चूंकि अपीलार्थी को स्पष्ट विवरण देने के लिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 29.06.16 से पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा चुका है किन्तु अभी तक उसके द्वारा उक्त पत्र के सन्दर्भ में कोई उत्तर प्रस्तुत नही किया गया है। इसलिए इसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रभारी अधिकारी, राज0 सम्पर्क, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी वांछित विवरण प्रस्तुत कर दे तो उसे नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, राज0 सम्पर्क जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर